

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 13 ()मु.पु.गृह/सा0सु0/सान्याअवि/2022/76295 जयपुर, दिनांक: 24-1-2023

‘मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना’ संचालन दिशा-निर्देश : 2022

राजस्थान सरकार द्वारा बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिये आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से इनकी उचित देखभाल तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालन के लिए निःशुल्क/अनुदान स्वीकृत करने के सम्बंध में निम्नानुसार मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना संचालन दिशा-निर्देश 2022 बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम व प्रभावित क्षेत्र :

1. ये दिशा-निर्देश राजस्थान मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना संचालन दिशा-निर्देश 2022 कहलायेंगे।
2. ये दिशा-निर्देश सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में तुरन्त प्रभावशील होंगे।
3. ये दिशा-निर्देश 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं :

- क. “विभाग” से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
- ख. “प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव” से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।
- ग. “आयुक्त/निदेशक” से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।
- घ. “जिलाधिकारी” से तात्पर्य संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।

- च. “प्रभारी अधिकारी“ प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य मुख्यालय स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अतिरिक्त निदेशक (सा.सुरक्षा) से है।
- छ. “बेघर” व्यक्ति से तात्पर्य “राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022” में परिभाषित बेघर व्यक्ति से अभिप्रेत है।
- ज. “वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिक” से तात्पर्य वरिष्ठ नागरिक पुरुष 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का एवं महिला 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की हो।
- झ. “कामकाजी महिलाओं” से तात्पर्य ऐसी कामकाजी महिलाओं से है (जो एकल, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या विवाहित हो सकती है) जिनके पति या निकटतम परिवार के सदस्य उस शहर में निवास नहीं करते हैं।
- ट. “असहाय/निराश्रित” व्यक्तियों से तात्पर्य ऐसे पुरुष/महिला से है जो संतानहीन है, स्वयं के परिवार से प्रताड़ित है, जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है, जो छूत या संक्रामक एवं असाध्य रोग से पीड़ित एवं मानसिक एवं बौद्धिक रोग से ग्रसित हो, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।
- ठ. “मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह“ से तात्पर्य ऐस गृह से है जिसमें बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिला एवं असहाय/निराश्रित व्यक्ति निवास करते हैं।

3. योजना का उद्देश्य:-

- (अ) योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिला, असहाय/निराश्रित नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिये संस्थागत देखरेख के रूप में आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा-स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, मनोरंजन एवं आध्यात्मिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा एवं उल्लास पूर्वक जीवन जीने की सुविधाएँ प्रदान किया जाना।
- (ब) सभी वर्गों के वृद्धजन, असहाय, निराश्रित व्यक्तियों का बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 के बिन्दु संख्या 8 के तहत सर्वे, आधार/जनाधार कार्ड, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा एवं रोजगार/स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ कर पुनर्वासित किया जाना है।

(स) बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिला एवं निराश्रित/असहाय व्यक्तियों को बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 के बिन्दु संख्या 3.2.ज के तहत संरक्षण एवं बचाव के उपाय किये जायेंगे।

(द) कामकाजी महिला गृह में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं जो अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, विवाहित जिनके पति/परिवार के अन्य सदस्य शहर में निवास नहीं करते हैं, वे महिलाएं अपने घर से अलग होकर व्यवसायिक/प्रशिक्षण/रोजगार प्राप्त कर रही हैं, उन महिलाओं को 18 वर्ष तक की बालिका व 12 वर्ष तक के बालक के साथ सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास हेतु जगह उपलब्ध करवाना। कामकाजी महिलाओं को केवल आवास की सुविधा देय होगी।

4. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का संचालन :- मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राजकीय भवनों में जिला मुख्यालयों पर किया जायेगा, परन्तु राजकीय भवन निर्मित होने तक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन या स्वयं के/किराये के भवन में संचालन किया जायेगा। निःशुल्क संचालन किये जाने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

5. मॉनीटरिंग एवं स्वयंसेवी संस्था का चयन :

(अ) मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालन करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव E.O.I. निदेशालय स्तर से आमन्त्रित किये जायेंगे तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 1) में जिलाधिकारी, सान्याअवि के द्वारा की गई जांच के आधार पर “राजस्थान वृद्धाश्रम संचालन योजना 2013” के बिन्दु संख्या 20 में गठित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्था का चयन कर प्रस्ताव अभिशंषा सहित निदेशालय को भिजवाया जायेगा। प्राप्त प्रस्ताव का आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किये जायेंगे।

(ब) राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति :-

स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सान्याअवि, राज0जयपुर - अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/प्रतिनिधि,
नगरीय विकास विभाग, राज0जयपुर - सदस्य
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/प्रतिनिधि,
स्वायत्त शासन विभाग, राज0जयपुर - सदस्य
4. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/प्रतिनिधि,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0जयपुर - सदस्य
5. आयुक्त, विशेषयोग्यजन, राज0 जयपुर - सदस्य
6. आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राज0जयपुर - सदस्य
7. आयुक्त/निदेशक, सान्आवि राज0जयपुर - सदस्य
8. अतिरिक्त निदेशक(सा.सु.), सान्आवि राज0जयपुर - सदस्य सचिव

उक्त कमेटी की न्यूनतम वर्ष में 02 बार बैठक अनिवार्य है।

6. स्वयंसेवी संस्थाओं की पात्रता :-

मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालन के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों की पात्रता निम्नानुसार रहेगी।

1. स्वयंसेवी संस्था/संगठन जो सोसायटी एक्ट/ट्रस्ट (न्यास)एक्ट/कम्पनी एक्ट में पंजीकृत हों तथा 25.00 लाख रुपये का पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर हो।
2. स्वयंसेवी संस्था/संगठन का बेघर/वृद्धजन/महिला कल्याण/असहाय/निराश्रित वर्गों के कल्याण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
3. स्वयंसेवी संस्था/संगठन का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीयन हो।
4. स्वयंसेवी संस्था/संगठन का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक होगा।
5. स्वयंसेवी संस्था/संगठन का विगत 03 वित्तीय वर्ष का ऑडिट स्टेटमेन्ट (प्राप्ति व भुगतान, आय-व्यय स्टेटमेन्ट)।

6. स्वयंसेवी संस्था/संगठन द्वारा औसतन 25 वंचित लाभार्थियों का वृद्धाश्रम/बाल गृह/मानसिक विमंदित गृह आदि गृह का संचालन किया जा रहा हो।
7. स्वयंसेवी संस्था/संगठन को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्टेड अन्यथा डिफाल्टर नहीं करने की घोषणा पत्र की जानी आवश्यक है।
8. उपरोक्त गृह राजकीय भवन में स्वयं सेवी संस्था/संगठन द्वारा संचालित किये जायेगा, जो वृद्ध, बेघर, कामकाजी महिला एवं असहाय/निराश्रित आवासी पुरुषों व महिलाओं को अलग-अलग विंग में रखा जाता तथा संक्रमित एवं गम्भीर रोग से पीड़ितों को भी अलग विंग में रखा जावेगा। राजकीय भवन बनने तक इन गृहों का निःशुल्क संचालन करने वाली स्वयं सेवी संस्था/संगठन एवं स्वयं के भवन में संचालन करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।

7. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में प्रवेश की पात्रता :-

1. आवासी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. वृद्ध पुरुष की आयु 60 वर्ष एवं महिला की उम्र 55 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो या कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ हो।
3. वृद्ध पुरुष/महिला असहाय/निराश्रित हो।
4. वृद्ध पुरुष/महिला संतानहीन एवं स्वयं के परिवार से प्रताड़ित हो।
5. वृद्ध पुरुष/महिला आजीविका चलाने में असमर्थ हो।
6. व्यक्ति जिसका कोई घर/आश्रय न हो और ना ही वह किराये पर घर लेने की क्षमता रखता हो।
7. 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला जो एकल, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या विवाहित हो, जिनके पति या निकटतम परिवार के सदस्य उस शहर में निवास नहीं करते हैं।
8. पुरुष/महिला जो संतानहीन है, स्वयं के परिवार से प्रताड़ित है, जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है तथा संक्रामक एवं असाध्य रोग से पीड़ित तथा मानसिक एवं बौद्धिक रोग से ग्रसित हो, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।
9. गृह में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिला एवं असहाय/निराश्रित व्यक्ति जो स्वयं रहने के इच्छुक हो, पात्र होंगे।

- 10 वृद्ध बीमार, परित्यक्त महिलाएं, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 11 केन्द्रीय/राज्य बी.पी.एल.सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 12 गृह में जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/जिलाधिकारी सान्याअवि सहमति उपरांत प्रवेश दिया जावेगा। प्रवेश हेतु जाति व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जावेगा।

8. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालन की शर्तें :-

1. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का संचालन प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कम से कम एक गृह की स्थापना की जायेगी, जो राजकीय भवन में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित होंगे।
2. राजकीय भवन निर्मित होने तक गृहों का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन/स्वयं के भवन में किया जायेगा। पुनर्वास गृह की स्थापना हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् निःशुल्क संचालन किये जाने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं से मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MOU) उपरान्त किया जायेगा। मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MOU) का प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा जिसके लिए स्वयंसेवी संस्था द्वारा जिलाधिकारी की रिपोर्ट सहित निदेशालय, सान्याअवि, राज0 जयपुर को 30 दिन पूर्व आवेदन प्रेषित करना होगा।
4. स्वयं सेवी संस्थाओं को 75 आवासियों (पुरुष व महिला) की स्वीकृति दी जायेगी। गृह में 75 आवासी प्रवेशित नहीं होने पर स्वीकृत क्षमता कम करने का अधिकार आयुक्त/निदेशक सान्याअवि को होगा।
5. महिला, पुरुषों के लिए आश्रय के अतिरिक्त छोटे बच्चों वाली एकल महिलाएं, गर्भवती या धात्री महिलाएँ व कमजोर अन्य लैंगिक पहचान वाले, मानसिक विक्रिप्त, नशे के आदी शरणार्थी, भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति इत्यादि के लिए

अलग से व्यवस्था की जायेगी। जरूरत होने पर विशेष संसाधन उपलब्ध करवाकर

पुनर्वासित किया जायेगा।

6. पति द्वारा छोड़ दिये जाने, घरेलू हिंसा का शिकार या अन्य ऐसी ही समस्याओं को झेल रही महिलाओं, मानसिक विमंदित की मदद के विशेष उपाय किए जाएँगे।

(क) संपत्ति और सुरक्षा के अधिकार का संरक्षण तथा शोषण से सुरक्षा

(ख) हिंसा करने वालों से रक्षा और हिंसा होने पर केस दर्ज कर, कानूनी मदद सुनिश्चित करके न्याय दिलाना।

(ग) जरूरत आधारित सभी तरह की मदद के लिए वन स्टॉप काइसिस मैनेजमेंट मंच का गठन।

7. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वर्ष में एक बार आवासियों को धार्मिक स्थल का भ्रमण करवाना अनिवार्य होगा।

8. स्वयं सेवी संस्था द्वारा आवासियों को आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त उपचार की व्यवस्था की जावेगी।

9. स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवासियों को दाँत, चश्मा, बेंत, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

10. गृहों में रहने वाले आवासियों की प्रतिमाह एक बैठक कराई जायेगी, जिसमें उनकी समस्याओं पर विचार कर उनका निवारण किया जायेगा। बैठक में जिलाधिकारी, सान्याअवि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जावेगा।

9. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों में दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बंध में :-

1. प्रत्येक आवासी को मैन्यू के अनुसार प्रातः नाश्ता, दोपहर का भोजन, सांयकालीन अल्पाहार (Refreshment) एवं रात्रि भोजन तथा मौसमी फल उपलब्ध करवाये जायेगे।

2. आवासी को निम्नलिखित वस्तुए प्रदान की जावेगी :-

1. बिस्तर

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	तौलिया	प्रति वर्ष 2
2	सूती चादर	प्रति वर्ष 2

3	तकिया (रुई भरे हुए)	2 वर्ष में 2
4	तकिये का गिलाफ	2 वर्ष में 4
5	ऊनी कंबल	2 वर्ष में 2
6	सूती दरी	2 वर्ष में 2
7	गद्दा	2 वर्ष में 1

2. महिला आवासियों के लिए वस्त्र

क्र.सं.	वस्तु	प्रति आवासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	सलवार सूट या ब्लाउज और पेटिकोट सहित साड़ी	प्रति वर्ष 4 सेट
2	ब्रैजीअर	प्रति वर्ष 4
3	चैटी	प्रति वर्ष 8
4	सैनिटरी तौलिया	प्रति वर्ष 12 पैक
5	ऊनी शॉल	2 वर्ष में 2
6	ऊनी स्वेटर	2 वर्ष में 1
7	दुपट्टा/आधी साड़ी	प्रति वर्ष 2

3. पुरुष आवासियों के लिए वस्त्र

क्र.सं.	वस्तु	प्रति आवासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	कमीज	प्रति वर्ष 4 सेट
2	पैट	प्रति वर्ष 4 सेट
3	बनियान	प्रति वर्ष 4 सेट
4	अण्डरवियर	प्रति वर्ष 4 सेट
5	ऊनी जर्सी	2 वर्ष में 2

4. विविध वस्तुएं

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	चप्पल	प्रति वर्ष 1 जोड़ी
2	जूते	प्रति वर्ष 1 जोड़ी

5. प्रसाधन सामग्री

क्र.सं.	वस्तु	प्रति आवासी प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	बालों में लगाने का तेल	प्रति माह 200 मिली लीटर
2	नहाने का साबुन	प्रति माह 2 बड़ी बार
3	टूथ पेस्ट और ब्रश	प्रति 1 माह 1 ब्रश, प्रति माह 80 ग्राम पेस्ट
4	कंधा	प्रति वर्ष 2
5	धोने का साबुन	प्रति माह 2 साबुन 125 ग्राम

3. सक्षम आवासी अपने कपड़े स्वयं ही धोयेगा।

4. प्रत्येक आवासी की माह में एक बार बाल कर्टिंग कराई जायेगी।
5. प्रत्येक आवासी की बैडशीट प्रत्येक 15 दिवस में स्वयंसेवी संस्था द्वारा धुलवाई जायेगी।

10. मुख्यमंत्री पुनर्वासि गृह में भोजन व मनोरंजन की उपलब्धता के सम्बंध में

1. आवासियों को प्रातः 7.00 बजे से 8.00 बजे तक नाश्ता दिया जायेगा।
2. आवासियों को दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे तक दोपहर का भोजन दिया जायेगा।
3. आवासियों को सायंकाल 4.00 बजे से 4.30 बजे तक चाय व अल्पाहार दिया जायेगा।
4. आवासियों को रात्रिकालीन भोजन 6.30 बजे से 7.30 बजे तक दिया जायेगा,
5. आवासियों को प्रत्येक माह के प्रत्येक रविवार को स्पेशल डाईट दी जायेगी।
जिसमें खीर/हलुवा/स्थानीय व्यंजन को शामिल किया जायेगा।

आवासियों के लिए निर्धारित भोजन व नाश्ता मीनू

क्र.स.	वार	सुबह का नाश्ता	सुबह का खाना	रात्रि भोजन
1.	सोमवार	पोहे, दूध	चपाती, दाल, दही	चपाती, सब्जी, सलाद
2.	मंगलवार	अंकुरित चने/मूंग/मोठ, दूध	चपाती, दाल, रायता	चपाती, हरी सब्जी, फल
3.	बुधवार	पोहे, दूध	चपाती, चावल, राजमा, छाछ	चपाती, सब्जी, सलाद
4.	गुरुवार	मीठ दलिया, दूध	चपाती, दाल, कड़ी	चपाती, मौसमी सब्जी, फल
5.	शुक्रवार	नमकीन दलिया, दूध	चपाती, दाल, दही	चपाती, सब्जी, सलाद
6.	शनिवार	बिस्कुट व दूध	चपाती, दाल, छाछ	चपाती, सब्जी, फल
7.	रविवार	पोहे, दूध	विशेष भोजन	चपाती, सब्जी, सलाद

विशेष भोजन

क्र.स.	वार	मीनू
1.	प्रथम रविवार	चमकीन चावल, पूड़ी, छोले की सब्जी
2.	द्वितीय रविवार	खीर, पूड़ी, सब्जी
3.	तृतीय रविवार	चूरमा-बाटी, दाल
4.	चतुर्थ रविवार	खीर, पूड़ी, सब्जी
5.	पंचम रविवार	गेहूं के आटे का हलवा, पूड़ी, सब्जी

6. आवासियों के मनोरंजन के लिए गृह में एक रंगीन टीवी, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, संगीत के उपकरण, धार्मिक पुस्तकें आदि नियमित उपलब्ध रहेगी।
7. आवासियों को इंडोर गेम्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
8. सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य की व्यवस्था की जावेगी।

11. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का निरीक्षण :-

1. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में एक बार गृह का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
2. निदेशालय स्तर पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के प्रभारी अधिकारी द्वारा वर्ष में न्यूनतम एक बार प्रत्येक गृह का निरीक्षण अवश्य किया जायेगा।
3. निदेशालय के निदेशक/अतिरिक्त निदेशक दौरे पर हो तो गृह का निरीक्षण यथासम्भव अवश्य करें।
4. जिला स्तर पर गृह के प्रभावी मॉनीटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाता है। जिला स्तरीय समन्वय समिति निम्नानुसार है :-
 1. जिला मजिस्ट्रेट - पदेन अध्यक्ष
 2. पुलिस अधीक्षक - सदस्य
 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - सदस्य
 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - सदस्य
 4. जिला चिकित्सालय का प्रभारी अधिकारी, - सदस्य
 5. आयुक्त/सचिव नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका - सदस्य
 6. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे व्यक्ति, सदस्य जो बेघर/वृद्धजन/कामकाजी महिला या असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ और सक्रिय हों - सदस्य
 7. जिलाधिकारी, सान्याअवि - सदस्य सचिव

उक्त समिति की बैठक मासिक आयोजित की जावेगी।

12. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड :-

1. गृह में आवासी व्यक्तियों की उपस्थिति पंजिका।
 2. गृह में आवासियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति पंजिका ।
 3. गृह में क्रय किये गये सामान के लिए स्थाई व अस्थाई स्टॉक पंजिका संधारित की जायेगी।
 4. गृह में आवासियों को वितरित किये जाने वाली सामग्री हेतु सामग्री वितरण पंजिका का संधारण किया जायेगा।
 5. भ्रमण पंजिका।
 6. कैश-बुक।
 7. राशन पंजिका
 8. वेतन/एफ.वी.सी. बिल फाईल
 9. स्टॉक रजिस्टर।
 10. स्टॉफ उपस्थिति पंजिका।
 11. बैंक खाते की पास-बुक।
 12. नाश्ता पंजिका।
 13. आवक-जावक पंजिका ।
 14. सामान्य पत्राचार की पत्रावली (निदेशालय, जिला कलक्टर, जिलाधिकारी व अन्य विभागों से पत्राचार की पत्रावली)
 15. विभाग को भेजे जाने वाले मानचित्रों, पत्रों व विभाग से प्राप्त होने वाले पत्रों की पत्रावली।
 16. स्वास्थ्य पंजिका, जिसमें चिकित्सक द्वारा गृह के सदस्यों के स्वास्थ्य को चैक कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर औषधि उपलब्ध करवाये जाने से संबंधित विवरण होगा।
 17. आवासियों की व्यक्तिगत प्रवेश संबंधी पत्रावली।
 18. कार्यरत कार्मिक को किये गये मानदेय की ऑनलाइन भुगतान की पत्रावली ।
13. मुख्यमंत्री पुनर्वास संचालन हेतु स्टाफ व्यवस्था :-
1. गृह के संचालन हेतु एक मैनेजर की नियुक्ति की जायेगी जो गृह को संचलित करेगा।
 2. गृह के संचालन हेतु एक लिपिक की नियुक्ति की जायेगी जो गृह के रिकार्ड को संचलित करेगा।

3. गृह के संचालन हेतु एक लेखाकार की नियुक्ति की जायेगी जो गृह के लेखें सम्बन्धी कार्य को संचालित करेगा।
4. गृह के संचालन हेतु तीन केयर टेकरों की नियुक्ति की जायेगी जो गृह व आवासियों की 24X7 के रूप में उचित देखभाल करेंगे।
5. गृह के संचालन हेतु न्यूनतम 03 रसोइया की नियुक्ति की जायेगी, जो गृह में रहने वाले आवासियों के लिए भोजन व नाश्ता बनायेगा।
6. गृह में सुरक्षा के लिए 24X7 चौकीदार की नियुक्ति की जायेगी।
7. गृह के संचालन हेतु एक सफाईकर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो गृह की साफ-सफाई करेगा।

1.4. स्वयंसेवी संस्था को अनुदान एवं बजट प्रावधान :

1. निःशुल्क संचालन नहीं करने वाली संस्थाओं को गृह संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृत बजट का 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयंसेवी संस्था का स्वयं का होगा।
2. स्वयं सेवी संस्था का चयन राज्य स्तर से किया जायेगा। उसके बाद आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बजट की कुल अधिकतम सीमा के अधीन स्वीकृति जारी करने के लिये बजट जिलाधिकारी को उपलब्ध करवाया जायेगा।
3. जिलाधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को एकमुश्त देय अनुदान राशि वर्ष में दो बार एवं मैस व्यवस्था हेतु देय राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
4. स्वयंसेवी संस्था को आवासियों के मैस व्यवस्था के लिये 2500/- रुपये प्रति माह प्रति आवासी एवं किराये के भवन की स्थिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया निर्धारण हेतु जारी तकमीना या संभाग मुख्यालय पर 1,50,000/- रुपये प्रतिमाह तथा जिला मुख्यालय पर 1,00,000/- रुपये प्रतिमाह, जो भी दोनों में कम देय होगा। अन्य सभी प्रकार के व्यय हेतु 25-25 आवासी की एक यूनिट मानते हुए प्रति यूनिट 1.00 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिकतम 75 आवासी (03 यूनिट) हेतु 3.00 लाख रुपये प्रति माह का अनुदान देय होगा। इसके अतिरिक्त/अधिक व्यय संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

5. गृह में पलंग, गद्दे, तकिया मय कवर, खैस, चद्दर, कम्बल, खाने बनाने व खिलाने वाले बर्तन, टी.वी.अलमारी, 05 कुर्सी, 03 टेबिल, मनोरंजन यंत्र, धार्मिक पुस्तकें, इंडोर गैम्स, पंखे, कूलर इत्यादि अनावर्तक सामान क्रय के लिए प्रति आवासी 5000/- रुपये अनुदान दिया जावेगा एवं पूर्व सामान का कारण सहित अनुपयोगी सामान का निस्तारण पश्चात् आवश्यकता होने पर 05 वर्ष उपरांत अनावर्तक मद में अनुदान की पुनरावृत्ति की जा सकती है।
6. स्वयंसेवी संस्था को भुगतान से पूर्व पिछले भुगतान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र व सी.ए. द्वारा प्रमाणित वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
7. सहायता अनुदान उन परियोजन हेतु देय होगा, जिसकी मान्यता दी हुई है।
8. अनुदान प्राप्ति से पूर्व संस्था द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र 500 रुपये के स्टाम्प पर भर कर दिया जायेगा, संस्था के कार्य बन्द कर देने के कारण या राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष पूर्व मान्यता समाप्त कर देने पर सरकार को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के सम्पूर्ण सामान क्रय हेतु दी गई अनुदान राशि की वसूली की जायेगी तथा अनुपयोगी अनुदान राशि (Unused Grant) को राजकोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा और समय-2 पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की बिना शर्त के पालना की जावेगी।
9. विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं स्वयंसेवी संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध करवानी होगी।
10. स्वयंसेवी संस्था द्वारा मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह निरन्तर चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्था को प्रत्येक वर्ष मान्यता का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है।
11. विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था अपनी इच्छा से योजना संचालन का कार्य किसी अन्य संस्था को स्थानान्तरित नहीं कर सकती है। स्वयंसेवी संस्था यदि योजना संचालन में असमर्थ है तो उन्हें एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना होगा।
12. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही योजना के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

15. दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधान :

किसी शिकायत की जाँच करने अथवा आयुक्त/निदेशक के आदेश से निरीक्षणकर्ता अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह के लिए आवंटित धनराशि के दुरुपयोग होने अथवा अन्य कोई अनियमितता पाई जाती है जिसका तथ्य सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्वयंसेवी संस्था की मान्यता रद्द करने का सकारण लिखित में निदेशक द्वारा आदेश जारी किया जायेगा एवं राशि का गबन भी सिद्ध होता है तो स्वयंसेवी संस्था से यह राशि वसूल भी की जायेगी। अगर ऐसी स्वयंसेवी संस्था की राशि बकाया है तो उसे जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही ऐसी दोषी स्वयंसेवी संस्था को भविष्य में कभी भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कोई भी योजना संचालन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

16. नियमों में शिथिलता

इन नियमों की व्याख्या आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जा सकेगी तथा इसमें परिवर्तन/संशोधन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।




(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ 13 ()मु.पु.गृह/सा0सु0/सान्याअवि/2022/ 76236-76235 जयपुर, दिनांक: 24-1-2023
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त, मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राज0जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि, राज0 जयपुर।
9. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
10. रक्षित पत्रावली



निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना
आवदेन प्रपत्र

- 1 स्वयंसेवी संस्था का नाम
- 2 स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता(ईमेल सहित)
- 3 स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष न०.....
- 4 क्या संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/ट्रस्ट व कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है (संलग्न)
- 5 यदि हाँ तो पंजीयन क्रमांक व दिनांक
- 6 संस्था को बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिला एवं असहाय/निराश्रित व्यक्ति के क्षेत्र में कार्य करने का कितने वर्ष का अनुभव है। अनुभव की प्रमाणित प्रति।.....
- 7 यदि हाँ तो संस्था द्वारा बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिला एवं असहाय/निराश्रित व्यक्ति के क्षेत्र में किये गये कार्यों के विवरण संलग्न करें।
- 8 गत तीन वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न करें।
- 9 गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।
- 10 संस्था का आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीयन है/नहीं। (संलग्न करें)
- 11 संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन (संलग्न करें)। हाँ/ नहीं
- 12 क्या संस्था अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही है (संलग्न करें)। हाँ/ नहीं
- 13 संस्था का विभागीय का विभागीय पोर्टल पर पंजीयन (संलग्न करें)। हाँ/ नहीं
- 14 यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें.....
- 15 क्या संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है। विवरण हाँ/ नहीं

16 यदि हां तो स्वीकृत अनुदान की गत तीन वर्षवार विवरण दें।

17 क्या संस्था विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। हां/नहीं

18 यदि हो तो तीन वर्ष का विवरण दें।

19 क्या संस्था के पास गृह संचालन हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है, नहीं तो

किरायानामा की फोटो प्रति मय नक्शा

.....

20 यदि हां तो भवन का पूर्ण विवरण संलग्न करें।

21 अन्य विवरण

अध्यक्ष/सचिव